कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़
"सी– ब्लॉक, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर
//आदेश//

क्रमांक/89/तक./टीसी/2020 नवा रायपुर दिनांक 01/06/2020

"कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन मुख्यालय के पूर्व जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं/साधनों के संचालन को स्थगित रखा गया है। आम जनता की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर–जिला (एक जिला से दूसरे जिला) आवागमन के लिये सिटी बस को दिनांक 01 जून 2020 से अनुमति दी जाती है। सिटी बस परिचालन हेतु निम्नानुसार SOP का पालन किया जाना हैः–

1. प्राधिकार द्वारा जारी सिटी बस अनुज्ञापत्र में दर्शित समय–चक एवं फेरे के अनुसार बसों के संचालन की अनुमति होगी।
2. प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञापत्र के समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित स्टापेज पर वाहन का ठहराव होगा।
3. यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक एवं समस्त यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना होगा।
4. परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते/बैठते व उतरते समय सोशल डिस्टेंशिंग का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
5. सिटी बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सैनेटाइज करना सुनिश्चित करेंगे। बसों के सैनेटाईजेशन हेतु सोडियम हाईपोक्लोराईड के जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है।
6. वाहन चालक एवं परिचालक को कोविड–19 के संक्रमण हेतु बचाव हेतु समस्त सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे।
7. बस में यात्रा के दौरान सोशल/फिजिकल डिस्टेशिंग एवं कोविड–19 के नियंत्रण हेतु शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पालन करेंगे।
8. यात्रा के दौरान यात्रियों/चालक द्वारा धुम्रपान, पान, गुटका, खैनी इत्यादि खाना एवं थुकना प्रतिबंधित रहेगा।
9. अंतर–जिला परिवहन हेतु समस्त यात्रियों को ई–पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वेब लिंक https://epass.cgcovid19.in के माध्यम से ई–पास प्राप्त किया जा सकता है।
10. बस के परिचालक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतर–जिला यात्रियों को ई–पास प्राप्त होने पर ही यात्रा करने दिया जाए।
11. बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग अनुसार एवं तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु उपलब्ध करायेंगे।
12. चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा। बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

kps 1/6/20

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/89–A/तक./टीसी/2020 नवा रायपुर दिनांक 01/06/2020

प्रतिलिपिः–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय परिवहन मंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
3. समस्त भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष ।
5. समस्त संभागायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक।
6. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
7. समस्त नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी।
8. समस्त सी.ई.ओ. जिला पंचायत।
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned with CamScanner

10. समस्त सिटी बस संचालक की ओर पालनार्थ।

11. समस्त क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner